

नौवीं अनुसूची
[धारा 120(ii) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की सातवीं अनुसूची में,—

- (1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “70 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 5 (2) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “110 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ।